

2. In the Central Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, to sub-rule (4) of rule 10. the following provision shall be added, namely —

"Provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case."

[No. 35012/2'80-Ests(A)]

### गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1981

क्र.सं. 2512.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) चतुर्थ संशोधन नियम, 1981 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु ऐसी और जांच के आदेश तब तक नहीं किए जाएंगे जब तक कि किसी ऐसी स्थिति से निपटना आवश्यक न हो जहां न्यायालय ने मामले के गुणागुण पर ध्यान दिए बिना बिल्कुल तकनीकी आधार पर आदेश पारित कर दिया है।

[संख्या 35012/2/80-स्था. (ए)]

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 7th September, 1981

S.O. 2512.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Fourth Amendment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.